"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 जुलाई 2012—श्रावण 9, शक 1934

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक/पं.-114/पंग्राविवि/22/2012/1092.—छत्तीसगढ़ पंचायत (कार्यवाहियों का निरीक्षण) नियम, 1995 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 95 की उपधारा (1), सहपठित धारा 84 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस का अवसान होने पर विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक 213, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :—

1. नियम 3 के उप-नियम (2) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(क) **ग्राम पंचायत —**

(1) पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक,

(2) तहसीलदार,

(3) संयुक्त संचालक/उप संचालक पंचायत या उसके द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी.

(ख) **जनपद पंचायत —**
(1) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
(2) संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत,
(3) कलेक्टर/संभागीय आयुक्त अथवा उनके द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी.

(ग) **जिला पंचायत —** संचालक, पंचायत या संभागीय आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी."

2. नियम 3 के उप नियम (3) के खण्ड (क) में, शब्द "अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर" के स्थान पर, शब्द "संभागीय आयुक्त, कलेक्टर" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2012

क्रमांक/पं.-114/पंग्राविवि/22/2012/1093.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक/पंचा.-114/पंग्राविवि./22/2012/1092, दिनांक 31-07-2012 में उल्लेखित संशोधन संबंधी अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के रा[illegible]पाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 31st July 2012

NOTIFICATION

No./P-114/PGVV/22/2012/1092.—The following draft of amendments in the Chhattisgarh Panchayat (Inspection of Proceedings) Rules, 1995, which the State Government exercising of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (1) and (2) of Section 84 of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), proposes to make, is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, for the information of all persons likely to be effected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken in to consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours by the office of Joint Secretary, Government of Chhattisgarh, Panchayat & Rural Development Department, Room No. 213, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya, Raipur, shall be considered by Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,—
1. For clause (a), (b) and (c) of sub-rule (2) of rule 3, the following clauses shall be substituted, namely :—
"(a) **Gram Panchayat—**
(1) Panchayat and Social Education Organizer,
(2) Tahsildar,
(3) Joint Director/Deputy Director, Panchayat or officer nominated by him in this behalf.

(b) **Janpad Panchayat—**
  (1) Sub Divisional Officer (Revenue),
  (2) Joint Director/Deputy Director, Panchayat,
  (3) Collector/Divisional Commissioner or officer nominated by him in this behalf.

(c) **Zila Panchayat—** Director, Panchayat or Divisional Commissioner or Officer nominated by them in this behalf."

2. In clause (a) of sub-rule (3), for the words "Sub Divisional Officer, Collector, the Commissioner" the words "Divisional Commissioner, the Collector" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. SINGH, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.